उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

भारतीय राजव्यवस्था

(उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-2

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPPSC DLP

विषय सूची (Contents)

7.	**मूल अधिकार**	**5-88**
	7.1 मूल अधिकार : पृष्ठभूमि	5
	7.2 मूल अधिकार : अनुच्छेद-12 और 13	13
	7.3 समता का अधिकार : अनुच्छेद-14-18	19
	7.4 स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद-19-22	33
	7.5 शोषण के विरुद्ध अधिकार : अनुच्छेद-23 और 24	55
	7.6 अनुच्छेद-25-28 : धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	58
	7.7 अनुच्छेद-29-30 : संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	67
	7.8 अनुच्छेद-31: संपत्ति का अधिकार (अब विलोपित) तथा कुछ विधियों की व्यावृति या सुरक्षा	70
	7.9 संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद-32	74
8.	**राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व**	**89–100**
	8.1 नीति-निदेशक तत्त्वों का इतिहास	89
	8.2 संविधान में विद्यमान नीति-निदेशक तत्त्व	89
	8.3 संविधान के अन्य भागों में दिये गए नीति-निदेशक तत्त्व	91
	8.4 मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्त्वों में अंतर	91
	8.5 नीति-निदेशक तत्त्वों और मूल अधिकारों के मध्य संघर्ष का इतिहास	92
	8.6 नीति-निदेशक तत्त्वों का क्रियान्वयन	93
9.	**मूल कर्त्तव्य**	**101–105**
	9.1 परिचय	101
	9.2 भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों का इतिहास	101
	9.3 मूल कर्त्तव्यों की सूची	101
	9.4 मूल कर्त्तव्यों की प्रवर्तनीयता	102
10.	**संघीय कार्यपालिका**	**106–138**
	10.1 भारत का राष्ट्रपति	106
	10.2 भारत का उपराष्ट्रपति	122

10.3 भारत का प्रधानमंत्री 124

10.4 केंद्रीय मंत्रिपरिषद 128

10.5 भारत का महान्यायवादी 131

10.6 भारत का महाधिवक्ता 133

10.7 भारत के अपर महाधिवक्ता 133

11. संघीय विधायिका **139–189**

11.1 राज्यसभा 139

11.2 लोकसभा 142

11.3 संसद की सदस्यता 150

11.4 संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया 154

11.5 संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया 161

11.6 संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन 166

11.7 संसद का कामकाज 168

11.8 संसदीय विशेषाधिकार 172

11.9 संसदीय समितियाँ 175

11.10 संसद: एक मूल्यांकन 182

12. आपातकालीन उपबंध **190–202**

12.1 परिचय 190

12.2 राष्ट्रीय आपात 190

12.3 राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन 194

12.4 राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन में तुलना 198

12.5 वित्तीय आपात 199

अध्याय
7

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

7.1 मूल अधिकार : पृष्ठभूमि *(Fundamental Rights : A Background)*

मूल अधिकारों का अर्थ *(Meaning of Fundamental Rights)*

मूल अधिकारों की पूर्णत: निश्चित विशेषताएँ बताना संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों में उनकी प्रकृति भिन्न है। मोटे तौर पर, भारतीय राजव्यवस्था की दृष्टि से मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित मानी जा सकती हैं–

- मूल अधिकार वे आधारभूत स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिये आवश्यक होती हैं। शेष अधिकारों के संबंध में यह हमेशा नहीं कहा जा सकता।
- मूल अधिकार देश की मौलिक विधि अर्थात् संविधान में उल्लिखित होते हैं। ये संविधान द्वारा रक्षित और प्रवृत्त होते हैं।
- आमतौर पर, मूल अधिकार सिर्फ कार्यपालिका (Executive) की शक्ति को मर्यादित नहीं करते बल्कि विधानमंडल (Legislature) की शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। यदि विधायिका इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई विधि (Law) बनाती है तो वह उस सीमा तक निष्प्रभावी या शून्य हो जाती है, जहाँ तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है।
- मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिये संविधान में संशोधन करना ज़रूरी होता है जबकि शेष कानूनी या विधिक (Legal or statutory) अधिकारों के मामले में आमतौर पर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। कानूनी अधिकार के मामले में संविधान संशोधन की ज़रूरत सिर्फ तब होती है जब वह संविधान के द्वारा दिया गया हो। अगर कानूनी अधिकार किसी अधिनियम के माध्यम से दिया गया है तो उसमें साधारण विधेयक से ही संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती।

ध्यातव्य है कि सभी कानूनी अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं, उदाहरण के लिये, उपभोक्ता अधिकार (Consumer Rights) कानूनी अधिकार तो हैं लेकिन मूल अधिकार नहीं हैं। इसी प्रकार, संपत्ति का अधिकार (Right to property), जो पहले मूल अधिकार था, वह अब कानूनी अधिकार है पर मूल अधिकार नहीं। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-301) भी कानूनी अधिकार का उदाहरण है।

मूल अधिकार नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी; उनका स्वरूप प्राकृतिक अधिकारों (Natural rights) की तरह भी हो सकता है और सामान्य कानूनी या विधिक अधिकारों (Legal rights) की तरह भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित देश की राजव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? जहाँ तक भारतीय संविधान व राजव्यवस्था का प्रश्न है, उसमें दिये गए मूल अधिकार इन सभी वर्गों में अलग-अलग मात्रा में समायोजित किये जा सकते हैं।

भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता (Need of Fundamental Rights in India)

संविधान सभा द्वारा संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था किये जाने के कुछ विशेष कारण थे, जैसे–

- भारत की अधिकांश जनता निरक्षर होने के कारण अपने राजनीतिक हितों और अधिकारों को नहीं समझती थी। इसलिये, यह खतरा लगातार विद्यमान था कि कहीं राज्य उसके मूल अधिकारों का हनन न कर दे।
- संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System) में यह खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है जिसका अर्थ है कि सरकार संसदीय बहुमत का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून बना सकती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? **UPPCS (Mains) 2017**
   (a) अनुच्छेद-28 (b) अनुच्छेद-29
   (c) अनुच्छेद-30 (d) अनुच्छेद-31
2. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? **UPPCS (Mains) 2017**
   (a) अनुच्छेद-17 (b) अनुच्छेद-19
   (c) अनुच्छेद-23 (d) अनुच्छेद-24
3. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? **UP (RO/ARO) Pre 2017**
   (a) अनुच्छेद-14 (b) अनुच्छेद-15
   (c) अनुच्छेद-17 (d) अनुच्छेद-24
4. **कथन (A):** सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिये भिन्न व्यवहार कर सकता है।
   कारण (R): समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप प्रशासित की जाएगी। **UPPCS (Mains) 2016**
   उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिये:
   (a) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
   (b) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।
   (c) (A) और (R) दोनों सही हैं किंतु (A) का सही स्पष्टीकरण (R) नहीं है।
   (d) (A) और (R) दोनों सही हैं किंतु (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
5. भारतीय संविधान में 'स्वतंत्रता का अधिकार' चार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं– **UPPCS (Mains) 2016**
   (a) अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक
   (b) अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक
   (c) अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक
   (d) अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक
6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: **UPPCS (Pre) 2016**
   कथन (A): संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉ. अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था।
   कारण (R): अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है।
   नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिये:
   कूट:
   (a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
   (b) (A) तथा (R) दोनों ही सही हैं किंतु (A) का सही स्पष्टीकरण (R) नहीं है।
   (c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
   (d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।
7. **कथन (A):** राज्य छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
   कारण (R): एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिये अपरिहार्य है। **UPPCS (Mains) 2016**
   उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिये:
   (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
   (b) (A) और (R) दोनों ही सही हैं किंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
   (c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
   (d) (R) सही है, किंतु (A) गलत है।
8. निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? **UP (Lower) Mains 2015**
   (a) अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा
   (b) केवल अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा
   (c) केवल अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा
   (d) केवल अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा
9. भारतीय संविधान में समता का अधिकार पाँच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये हैं- **UP (Lower) Pre 2015**
   (a) अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20
   (b) अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19
   (c) अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18
   (d) अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17

10. निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?
UPPCS (Mains) 2015
(a) मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध : अनुच्छेद 23
(b) अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण : अनुच्छेद 29
(c) संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद 32
(d) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार : अनुच्छेद 31

11. भारतीय संविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है?
UPPCS (Mains) 2015
(a) संसद को (b) राष्ट्रपति को
(c) न्यायपालिका को (d) प्रधानमंत्री को

12. निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है?
UP (Lower) Pre 2015
(a) संसद (b) महान्यायवादी
(c) उच्चतम न्यायालय (d) राष्ट्रपति

13. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है?
UPPCS (Re-Exam) Pre 2015
(a) परमादेश (b) अधिकार-पृच्छा
(c) बंदी-प्रत्यक्षीकरण (d) प्रतिषेध

14. निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की?
UPPCS (Re-Exam) Pre 2015
(a) गोपालन बनाम मद्रास राज्य
(b) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(c) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

15. संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? **UPPCS (Mains) 2015**
(a) 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा
(b) 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा
(c) 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा
(d) इनमें से कोई नहीं।

16. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त छः मूल अधिकारों में से नहीं है?
UPPCS (Mains) 2015
(a) समानता का अधिकार
(b) विरोध का अधिकार
(c) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(d) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

17. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है?
UPPCS (Re-Exam) Pre 2015
(a) विधि के समक्ष समानता
(b) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
(c) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
(d) शोषण के विरुद्ध अधिकार

18. निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है?
UPPCS (Mains) 2015
(a) अनुच्छेद 16 (b) अनुच्छेद 15
(c) अनुच्छेद 14 (d) अनुच्छेद 13

19. निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है?
UP (Lower) Pre 2015
(a) परमादेश (b) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(c) उत्प्रेषण (d) प्रतिषेध

20. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त 'हिंदू' शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता?
UPPCS (Mains) 2014
(a) बौद्धों को (b) जैनों को
(c) पारसियों को (d) सिखों को

21. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक् प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है?
UPPCS (Mains) 2014
(a) 11 (b) 16
(c) 21 (d) 26

22. भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? **UPPCS (Mains) 2014**
(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
(b) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(c) संपत्ति का अधिकार
(d) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

23. निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं है? **UP (Lower) Pre 2013**
 (a) समानता का अधिकार
 (b) शोषण के विरुद्ध अधिकार
 (c) संपत्ति का अधिकार
 (d) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

24. बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? **UPPCS (Mains) 2013**
 (a) अनुच्छेद-15 (b) अनुच्छेद-17
 (c) अनुच्छेद-21 (d) अनुच्छेद-22

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. अनुच्छेद-13 यह स्पष्ट करता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को सीमित या नष्ट करता हो।
 2. अनुच्छेद-13 से न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त होती है कि यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, जो मूल अधिकारों को सीमित या नष्ट करता हो, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

 उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

26. अनुच्छेद-12 के अनुसार 'राज्य' शब्द के अंतर्गत शामिल हैं:
 1. भारत की सरकार व संसद।
 2. सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल।
 3. सभी स्थानीय प्राधिकारी।
 4. अन्य प्राधिकारी।

 कूट:
 (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4
 (c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. स्थानीय प्राधिकारियों (Local authorities) से आशय उन व्यक्तियों से है, जिन्हें कोई विधि बनाने अथवा आदेश या अधिसूचना जारी करने और लागू करवाने की शक्ति प्राप्त है।
 2. सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को न्यायपालिका ने राज्य की परिभाषा में शामिल किया है।

 उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

28. भारतीय संविधान में वर्णित 'मूल अधिकार' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-कौन से सिद्धांत लागू होते हैं?
 1. पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of severability)।
 2. ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of eclipse)।
 3. अधित्याग का अमेरिकी सिद्धांत (American doctrine of waiver)।

 कूट:
 (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

29. "यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग-3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है।" यह कथन वर्णित है:
 (a) अनुच्छेद-13(1) में (b) अनुच्छेद-13(2) में
 (c) अनुच्छेद-13(3) में (d) अनुच्छेद-31(ग) में

30. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 'विधि' के अंतर्गत शामिल हैं:
 1. ऐसी रूढ़ियाँ एवं प्रथाएँ जिनमें कानून का बल है।
 2. कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रशासनिक आदेश, यदि वे प्राधिकार के अधीन जारी किये गए हैं।
 3. ध्वज संहिता।
 4. मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदुओं या ईसाइयों की वैयक्तिक विधि (Personal law)।

 कूट:
 (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
 (c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

31. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के स्रोत के रूप में माना जा सकता है?
 1. अनुच्छेद-13 2. अनुच्छेद-32
 3. अनुच्छेद-226

 कूट:
 (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का आधार 'यथोचित विधि प्रक्रिया' (Due process of law) है।

2. भारतीय न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति असीमित नहीं है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के आधारभूत ढाँचे में शामिल है।
2. संसद किसी भी संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध या निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत और अमेरिका के न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति समान नहीं है।
2. भारतीय न्यायपालिका के पास अमेरिकी न्यायपालिका की तुलना में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कम है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

35. भारतीय न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति अमेरिकी न्यायपालिका की तुलना में कम है, क्योंकि–

1. भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तुलना में बहुत लचीला है, इसलिये संसद संशोधन करके संविधान के प्रावधानों को स्पष्ट तथा सीमित कर सकती है।
2. अमेरिकी संविधान में संशोधन करना अत्यंत कठिन है, इसलिये न्यायपालिका की शक्ति मज़बूत बनी रहती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

36. भारतीय संविधान में अनुच्छेद-31(क) एवं 31(ख) किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए?

(a) प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951
(b) 24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971
(c) 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
(d) 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

37. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 में प्रयुक्त वाक्यांश 'विधि के समक्ष समता' कहाँ से लिया गया है?

(a) अमेरिका (b) आयरलैंड
(c) ब्रिटेन (d) स्विट्ज़रलैंड

38. 'विधियों का समान संरक्षण' वाक्यांश, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 में किया गया है, लिया गया है-

(a) अमेरिकी संविधान से
(b) ब्रिटिश संविधान से
(c) दक्षिण अफ्रीका के संविधान से
(d) ऑस्ट्रेलिया के संविधान से

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. 'विधि के समक्ष समता' एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ कानून के सामने विभिन्न व्यक्तियों में विभेद नहीं करना है।
2. 'विधियों का समान संरक्षण' एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है जो व्यक्तियों की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर कानून बनाने व लागू करने की वकालत करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

40. 'विधि के शासन' की अवधारणा दी गई है:

(a) अब्राहम लिंकन द्वारा (b) मॉन्टेस्क्यू द्वारा
(c) जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा (d) डायसी द्वारा

41. विधि के शासन के लक्षण के अन्तर्गत सम्मिलित तत्त्व हैं:

1. विधि की सर्वोच्चता
2. विधि के समक्ष समता
3. संविधान, सामान्य विधि के परिणाम के रूप में

कूट:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

42. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारतीय संविधान में भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे नागरिक हों या गैर-नागरिक, को विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 में 'प्राकृतिक न्याय' अथवा 'नैसर्गिक न्याय' (Natural justice) का सिद्धांत निहित है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

43. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अनुच्छेद-14 में निहित 'विधि का शासन' भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल है।
2. भारत की संसद अनुच्छेद-368 के तहत संविधान संशोधन करके अनुच्छेद-14 में निहित विधि के शासन के मूल भाव को न्यून नहीं कर सकती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

44. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 में वर्णित 'समानता' में निहित तत्त्व हैं:

1. राज्य द्वारा मनमाने तरीके से व्यक्तियों में विभेद पर प्रतिषेध।
2. राज्य द्वारा व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों में युक्तियुक्त वर्गीकरण पर निषेध।
3. देश के सभी व्यक्तियों पर पूर्णत: समान कानून लागू किया जाना।
4. प्रत्येक व्यक्ति की कानूनों तक समान पहुँच।

कूट:

(a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तरमाला

1. (c)	2. (d)	3. (c)	4. (d)	5. (a)	6. (a)	7. (a)	8. (a)	9. (c)	10. (d)
11. (c)	12. (c)	13. (c)	14. (c)	15. (a)	16. (b)	17. (b)	18. (c)	19. (b)	20. (c)
21. (c)	22. (c)	23. (c)	24. (d)	25. (c)	26. (d)	27. (c)	28. (a)	29. (b)	30. (a)
31. (d)	32. (c)	33. (c)	34. (c)	35. (c)	36. (a)	37. (c)	38. (a)	39. (c)	40. (d)
41. (d)	42. (c)	43. (c)	44. (b)						

अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. आप 'वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है?
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-15 द्वारा किन आधारों पर भेदभाव वर्जित है? इंगित कीजिये कि किस प्रकार से विशेष संरक्षण के प्रत्यय ने इस वर्जित भेदभाव को मर्यादित किया है तथा सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया है।
3. भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर अपने मत प्रस्तुत कीजिये। क्या वे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं?
4. जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? हाल के वर्षों में न्यायालयों ने इसके अर्थ का किस प्रकार विस्तार किया है?
5. मूल अधिकारों और राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के बीच अंतरों पर प्रकाश डालिये। राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के कार्यान्वयन के लिये संघ और राज्य सरकारों द्वारा किये गए उपायों में से कुछ पर चर्चा कीजिये।
6. "चूँकि हम अनेकतावादी समाज में रहते हैं, हमें अपने मतों को अभिव्यक्त करने की अधिकतम स्वतंत्रता की आवश्यकता है, भले ही वे अन्यों को अप्रिय लगे" क्या आप इस बात से सहमत हैं? भारत के संदर्भ में हाल की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए इस पर चर्चा कीजिये।
7. मूल अधिकार क्या हैं? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, जबकि राज्यों के लिये कुछ कर्त्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है?

अध्याय
8

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)

संविधान के भाग 4 को 'राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व' शीर्षक दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेद शामिल हैं। संविधान का यह खण्ड आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक न्याय तथा व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिये नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिये।

8.1 नीति-निदेशक तत्त्वों का इतिहास *(History of Directive Principles)*

भारतीय संविधान में नीति-निदेशक तत्त्वों का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों में इस बात पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिये ही जाने चाहियें; साथ ही राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिये जो सामाजिक न्याय के लिये वांछनीय हैं, किंतु उन्हें मूल अधिकारों के रूप में दिया जाना संभव नहीं है। संविधान सभा के सलाहकार श्री बी.एन. राव ने संविधान सभा को सलाह दी थी कि अधिकारों को दो वर्गों में बाँटा जाना चाहिये:

(i) वे अधिकार जो न्यायालय से प्रवर्तित कराए जा सकते हैं।
(ii) वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

दूसरे वर्ग के अर्थात् 'अप्रवर्तनीय अधिकारों' (Non-justiciable rights) का तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निदेशों से था जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक शिक्षा या प्रेरणा दे सकते थे। इस सुझाव को संविधान सभा की 'प्रारूप समिति' ने भी स्वीकार किया और मूल अधिकारों के तुरंत बाद संविधान के भाग 4 में इन्हें स्थान दिया।

मूल संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेद नीति-निदेशक तत्त्वों के लिये रखे गए थे। आगे चलकर, इनमें निम्नलिखित संशोधन किये गए-

- '42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976' के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39(क), 43(क) तथा 48(क) को अंत:स्थापित किया गया।
- '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन किया गया।
- '86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002' द्वारा 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये 'प्राथमिक शिक्षा के अधिकार' को अनुच्छेद 21(क) में मूल अधिकार का दर्जा दिये जाने के साथ ही अनुच्छेद 45 के मूल पाठ को हटाकर उसके स्थान पर एक नया पाठ रखा गया जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्त्तव्य राज्य पर डाला गया।
- '97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011' के माध्यम से इस भाग में एक और संशोधन करते हुए अनुच्छेद 43(ख) अंत:स्थापित किया गया है जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन (Voluntary formation), स्वायत्त प्रचालन (Autonomous functioning), लोकतांत्रिक नियंत्रण (Democratic control) तथा पेशेवर प्रबंधन (Professional management) को प्रोत्साहित करने का प्रयास करने का निदेश देता है।

8.2 संविधान में विद्यमान नीति-निदेशक तत्त्व *(Directive Principles present in the Constitution)*

वर्तमान में संविधान के भाग 4 में शामिल सभी अनुच्छेद और उनकी मूल विषय-वस्तु इस प्रकार है–

अनुच्छेद-36 – नीति-निदेशक तत्त्वों के संदर्भ में 'राज्य' (State) की परिभाषा।

अध्याय
9

मूल कर्त्तव्य
(Fundamental Duties)

9.1 परिचय *(Introduction)*

भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्त्तव्यों को भी शामिल किया गया है। वस्तुत: अधिकार और कर्त्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं। अधिकारविहीन कर्त्तव्य निरर्थक होते हैं जबकि कर्त्तव्यविहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। यदि व्यक्ति को 'गरिमापूर्ण जीवन' का अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्त्तव्य बनता है कि वह अन्य व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का ख्याल भी रखे। यदि व्यक्ति को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' प्यारी है तो यह भी ज़रूरी है कि उसमें दूसरों की 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के प्रति धैर्य और सहिष्णुता विद्यमान हो।

रोचक बात है कि सामान्यत: विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, सभी में सिर्फ मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। अमेरिका का संविधान इसका प्रतिनिधि उदाहरण है, जिसमें मूल अधिकार तो हैं किंतु कर्त्तव्य नहीं। ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, जर्मनी, कनाडा तथा ब्रिटेन जैसे देशों में भी मूल कर्त्तव्यों की ऐसी कोई सूची नहीं है। साम्यवादी देशों में मूल कर्त्तव्यों की घोषणा करने की परंपरा दिखाई पड़ती है। भूतपूर्व सोवियत संघ का उदाहरण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। उसके संविधान के सातवें अध्याय में बहुत से ऐसे कर्त्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई थी जिनका पालन करने की ज़िम्मेदारी वहाँ के नागरिकों पर थी, जैसे- संविधान और कानूनों का पालन करना, अपने देश की सुरक्षा हेतु अनिवार्य सैनिक सेवा के लिये तैयार रहना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना इत्यादि।

9.2 भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों का इतिहास *(History of Fundamental Duties in Indian Constitution)*

भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्य शुरू से शामिल नहीं थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी, तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिये एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति को संविधान के सभी उपबंधों का विस्तृत निरीक्षण करते हुए यह बताना था कि उसमें ऐसे कौन-से संशोधन किये जाने चाहियें कि वह ज़्यादा तर्कसंगत और व्यावहारिक हो सके? इस समिति की बहुत-सी अनुशंसाओं में एक यह भी था कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्त्तव्यों का समावेश होना चाहिये। समिति का तर्क यह था कि भारत में अधिकांश लोग सिर्फ अधिकारों पर बल देते हैं, यह नहीं समझते कि हर अधिकार किसी कर्त्तव्य के सापेक्ष होता है।

इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर '42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976' के द्वारा संविधान में 'भाग 4' के पश्चात् 'भाग 4(क)' अंत:स्थापित किया गया और उसके भीतर अनुच्छेद '51(क)' को रखते हुए 10 मूल कर्त्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। आगे चलकर, '86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002' के माध्यम से एक और मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 21(क) में दिये गए प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से सुसंगत था। अनुच्छेद 21(क) में यह गारंटी दी गई थी कि 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। इसी से सुसंगत 11वें मूल कर्त्तव्य द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या/और संरक्षकों पर यह कर्त्तव्य आरोपित किया गया है कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।

9.3 मूल कर्त्तव्यों की सूची *(List of Fundamental Duties)*

वर्तमान में संविधान के भाग 4(क) तथा अनुच्छेद 51(क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 11 मूल कर्त्तव्य हैं। इसके अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

अध्याय
10

संघीय कार्यपालिका (Federal Executive)

10.1 भारत का राष्ट्रपति *(The President of India)*

संविधान के अनुच्छेद 52 से 73 तक के समूह को 'राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति' शीर्षक दिया गया है, जिनमें अनुच्छेद 63 से 69 तक का हिस्सा उपराष्ट्रपति के संबंध में है जबकि शेष सारा राष्ट्रपति के संबंध में। इसके अलावा, अनुच्छेद 74, 77, 78, 123, 361 आदि में भी राष्ट्रपति से जुड़े कुछ उपबंध हैं।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति *(Constitutional status of the president)*

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति संविधान के अनुच्छेद 53, 74 तथा 75 से स्पष्ट होती है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है जबकि अनुच्छेद 74 तथा 75 में राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद से संबंध बताया गया है। इन अनुच्छेदों का मूल पाठ इस प्रकार है–

अनुच्छेद 53(1)- "संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।"

अनुच्छेद 74(1)- "राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।" (मूल संविधान के अनुसार)

अनुच्छेद 74(2)- "इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी?"

अनुच्छेद 75(1)- "प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।"

अनुच्छेद 75(2)- "मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यंत अपने पद धारण करेंगे।"

अनुच्छेद 75(3)- "मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।"

यदि मूल संविधान के इन उपबंधों पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि संविधान की भाषा राष्ट्रपति के वास्तविक शासक होने का संदेह पैदा करती है। अनुच्छेद 53 की शब्दावली तो ऐसी है ही, अनुच्छेद 74 भी इसकी संभावना पैदा करता है क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। 'सलाह' शब्द से कोई सरलता से यह भाव निकाल सकता है कि इसे मानने की कोई बाध्यता नहीं है। पुनः, अनुच्छेद 74(2) में कहा गया है कि न्यायालय इस बात की जाँच नहीं कर सकता कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं, और यदि दी तो क्या दी? इससे यह खतरा और बढ़ जाता है कि यदि राष्ट्रपति मनमानी करना चाहे तो न्यायालय भी उससे यह प्रश्न नहीं पूछ सकता कि उसने कोई कदम किन आधारों पर उठाया है?

वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस प्रश्न पर काफी विचार-विमर्श किया था। संविधान सभा के कई सदस्यों, जिनमें सभा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, का आग्रह था कि संविधान में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। संविधान के प्रारूप में इस उद्देश्य से एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी जिसमें राष्ट्रपति को कुछ निर्देश दिये गए थे और उनमें से एक यह था कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। किंतु, बाद में यह अनुसूची हटा दी गई क्योंकि सभा के सदस्यों को यह विचार ज़्यादा प्रभावशाली लगा कि कुछ ऐसी जटिल स्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें राष्ट्रपति द्वारा संविधान की रक्षा करने के लिये स्व-विवेक से कार्य करना ज़रूरी हो जाए। संविधान निर्माताओं को विश्वास था कि जिस प्रकार ब्रिटेन में राजा तथा मंत्रिपरिषद के मध्य स्वस्थ संबंधों

अध्याय
11

संघीय विधायिका (Federal Legislature)

11.1 राज्यसभा *(The Council of States)*

हमारी संसद का एक सदन 'राज्यसभा' है, जिसे अंग्रेज़ी में 'Council of States' कहा जाता है। इसकी संरचना प्रायः वैसी ही है, जैसी इंग्लैंड में 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' की है। थोड़ी–बहुत मात्रा में इसे अमेरिकी कॉन्ग्रेस के द्वितीय सदन 'सीनेट' के समकक्ष भी माना जा सकता है। कभी–कभी इंग्लैंड की राजव्यवस्था के अनुकरण पर इसे उच्च सदन (Upper House) कह दिया जाता है। हालाँकि संविधान में ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है।

राज्यसभा का गठन *(Composition of the Council of States)*

संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिये गए हैं। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। हालाँकि वर्तमान में यह 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (Nominate) किये जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज-सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। शेष सदस्य, जो अधिकतम 238 हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में 233 हैं, निर्वाचित होते हैं।

राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसके लिये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रचलित 'समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत' (Doctrine of equal representation) को नहीं अपनाया गया है बल्कि राज्य विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। यह व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य तथा उसके बाद प्रति 20 लाख व्यक्तियों पर राज्यसभा में एक सदस्य होगा। संविधान की चौथी अनुसूची में सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों (Union Territories) के लिये राज्यसभा में आवंटित किये गए स्थानों की सूची दी गई है। वर्तमान में यह सूची इस प्रकार है-

राज्य	स्थान	राज्य	स्थान	राज्य	स्थान	राज्य	स्थान	राज्य	स्थान
आंध्र प्रदेश	11	केरल	9	पंजाब	7	हिमाचल प्रदेश	3	तेलंगाना	7
असम	7	मध्य प्रदेश	11	राजस्थान	10	मणिपुर	1	**दिल्ली***	3
बिहार	16	छत्तीसगढ़	5	उत्तर प्रदेश	31	त्रिपुरा	1	**पुदुच्चेरी***	1
झारखंड	6	तमिलनाडु	18	उत्तराखंड	3	मेघालय	1	गोवा	1
महाराष्ट्र	19	पश्चिम बंगाल	16	सिक्किम	1	गुजरात	11	कर्नाटक	12
जम्मू-कश्मीर	4	मिज़ोरम	1	हरियाणा	5	ओडिशा	10	नागालैंड	1
अरुणाचल प्रदेश	1	**(कुल**	**233)**						

ध्यातव्य है कि सभी संघ राज्यक्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। संविधान के '7वें संशोधन अधिनियम, 1956' के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे, जो संसद विधि द्वारा निश्चित करे। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए **दिल्ली*** को 3 तथा **पुदुच्चेरी*** को 1 स्थान आवंटित किया है। शेष पाँचों संघ राज्यक्षेत्रों को राज्यसभा में फिलहाल कोई प्रतिनिधित्व हासिल नहीं है।

राज्यसभा के लिये निर्वाचन *(Election for the Council of States)*

चुनाव प्रणाली (Method of election)

संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional representation) के सिद्धांत को अपनाया। यह पद्धति भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में भी लागू होती है

अध्याय
12

आपातकालीन उपबंध
(Emergency Provisions)

12.1 परिचय *(Introduction)*

भारतीय संविधान साधारण स्थितियों में संघात्मक सिद्धांतों का अनुसरण करता है, पर संविधान निर्माताओं को इस बात का अनुमान था कि यदि देश की सुरक्षा खतरे में हो तो संघात्मक ढाँचा परेशानी का कारण भी बन सकता है। संविधान का भाग XVIII इसी प्रयोजन की पूर्ति करता है। इस भाग का नाम है–'आपात उपबंध' (Emergency Provisions)। इसमें संविधान के अनुच्छेद 352-360 शामिल हैं।

आपात के प्रकार *(Types of Emergency)*

संविधान में तीन तरह की आपात स्थितियाँ बताई गई हैं–

- अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत घोषित आपात जो 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' के कारण घोषित किया जाता है। इस आपात को 'राष्ट्रीय आपात' (National Emergency) कहे जाने का प्रचलन है, हालाँकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 352 का शीर्षक 'आपात की उद्घोषणा' (Proclamation of Emergency) है।
- अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र (Constitutional Machinery) के विफल हो जाने की दशा में घोषित किया जाने वाला आपात। प्रचलित भाषा में इसे 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) के नाम से जाना जाता है। कहीं-कहीं इसे 'राज्य आपात' (State Emergency) भी कह दिया जाता है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 356 में 'आपात' या 'आपातकाल' जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 360 के तहत घोषित होने वाला 'वित्तीय आपात' (Financial Emergency)। इसका संबंध भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व (Financial Stability) या साख (Credit) के संकट में पहुँचने से है। इसे संविधान में 'वित्तीय आपात' (Financial Emergency) ही कहा गया है।

12.2 राष्ट्रीय आपात *(National Emergency)*

अनुच्छेद 352 के तहत घोषित होने वाले आपात को 'राष्ट्रीय आपात' कहे जाने का प्रचलन है। राष्ट्रीय आपात से संबंधित विभिन्न उपबंध कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत समझे जा सकते हैं–

आपात की उद्घोषणा के आधार *(Basis of the proclamation of Emergency)*

वर्तमान में अनुच्छेद 352(1) के तहत आपात की उद्घोषणा तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो जाए कि 'युद्ध' (War), 'बाह्य आक्रमण' (External Aggression) या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि का वास्तविक अर्थ 'मंत्रिपरिषद' की संतुष्टि से है, क्योंकि आपात की उद्घोषणा करना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है।

गौरतलब है कि मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा के 3 आधार वर्णित थे, किंतु उनमें 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) की जगह 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) का उल्लेख था। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 'आंतरिक अशांति' के आधार पर ही आपात की उद्घोषणा की थी। उस समय सारे देश में इस बात पर सहमति थी कि वह उद्घोषणा अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग थी। जनता पार्टी ने अपने चुनावी वायदों में संविधान का यह उपबंध बदलने का आश्वासन दिया था। चुनाव जीतने के पश्चात् जनता पार्टी की सरकार ने '44वें संविधान संशोधन' के माध्यम से अनुच्छेद 352 में 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्दावली को हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) को रख दिया।